

Form- 1
(for linear projects)
Government of Rajasthan

Office of the District Collector Ajmer
No. कड/राज/2020/5362 Dated 23/07/2020
TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition Of Forest Rights) Act, 2006 (FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th feb.2013, wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 6.4731 Hectare of forest land in Block Jawaja of Tehsil Beawar forest division Ajmer proposed to be diverted in favour of Sup. Engineer (Project Division), PHED, Ajmer for crossing forest land for pipe line for drinking water supply in Fluoride Control Project, Jawaja, Beawar.

It is further certified that :

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out the entire 6.4731 Hr. of forest area proposed for diversion. There are no such Forest Dwellers Scheduled Tribes persons residing in the proposed area with rights Scheduled Tribe and other Traditional forest Dwellers (Recognition of Forest rights) Act 2006. A copy of records of all consultations and Sub-division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above



Jammy.
अभियांसी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
परियोजना कार्यालय, जवाजा

Prakash
(Prakash Rajpurohit)
District Collector, AJMER
(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर, अजमेर

राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर जिला-अजमेर (राज0)

क्रमांक/राजस्व/2020/6901

दिनांक :- 23/07/2020

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

अधिशायी अभियन्ता जन स्वा.अभि. विभाग परियोजना खण्ड जवाजा के पत्रांक/717-19 दिनांक 18.02.2020 के फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना ब्यावर-जवाजा के अन्तर्गत जल वितरण हेतु पाईप लाईन डालने का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। जिन खसरो की सूची उक्त विभाग द्वारा ही बताई गयी है जिसमें परियोजना पाईप लाईन कुछ स्थानों पर वन क्षेत्र से होकर गुजर रही है जिसके संदर्भ में अनुसूचित जाति/जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 की क्रियान्विति के संबंध में एफ0आर0ए0 (FRA) प्रमाण-पत्र चाहा गया है।

उपखण्ड स्तरीय समिति बैठक दिनांक 23.07.2020 द्वारा उक्त प्रकरण में विचार-विमर्श किया गया कि ग्राम देलवाडा, गढ़ीथोरियान, बलाड़, नरबदखेड़ा, केसरपुरा, भोजपुरा, गोहाना, सनवा, बाडिया लूम्बा, राजियावास, कालिंजर, नाहरपुरा, सरवीना, सूरजपुरा, देवाता, भाम्बीपुरा, कलातखेड़ा, बाडिया नंगा, जवाजा, भगवानपुरा, शिवनगर, पुनेरा, सूरजपुरा, बाडिया भाऊ, जालिया-द्वितीय वासरूपा, चिलियाबड़, बीया खेडा, तारागढ़, दांदोला, बागलिया व लोटियाना के अवाप्त वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि जो की फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना के अन्तर्गत आ रही है, उक्त खसरा नम्बरान की भूमि में अनु.जाति/जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 की क्रियान्विति के सम्बन्ध में उक्त भूमि में कोई वनवासी निवास नहीं करते हैं तथा अनु.जाति/जनजाति एवं वनवासी का किसी प्रकार का दावा भी प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः उक्त ग्रामों के खसरा नम्बरान के क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित कोई भी अनुसूचित जाति/जन जाति अन्य परम्परागत वन निवासी का व्यक्ति/समुदाय उक्त अधिनियम/नियमों में उल्लेखित पात्रता नहीं रखते हैं इसलिए एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सर्वसम्मति से सहमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

Janmay.

अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
परियोजना खण्ड, जवाजा


उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
ब्यावर (राज.)

बैठक में की गई कार्यवाहियाँ

बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर

5

6

आज दिनांक 20-9-2019 को भारत निर्माण राजीव गांधी श्रेष्ठ
केन्द्र - नोडिला पर ग्राम पंचायत की पामिड बेंड का आयोजन
किया गया जिसमें श्रीमती दामोदरी सरपंच की अध्यक्षता में
निम्न प्रस्ताव पारित किये गये।

श-दामोदरी

प्रस्ताव संख्या 14 निम्न ग्राम बसिन्धे का पहा नविकरिण देह
प्रस्ताव 2200 जिन्हे बडिप्याह द्वारा पर निर्णय लिया गया
कि निम्न प्रायोजी का पहा नविकरिण का प्रस्ताव सर्वेक्षण
से जीत लिया गया।

रज्जाल

1) श्रीमती 5/0 गोविन्दार चिलिपल

प्रमतावी

2) श्रीमती 5/0 जैजुल - 2 -

3) किन्तावी 5/0 उबेनील गरीबी

दिपाई

4) देशराज 5/0 राजलाल गरीबता

5) दामोदरी 5/0 जयपुराम गरीबता

6) श्रीमती 5/0 इमली गरीबता

प्रस्ताव संख्या 15) औषधियाँ और प्रता जन सेवा आदि विभाग
परिचोजना के तहत जवाजा परिचोजना के तहत पानी सप्लाई
परिचोजना वन विभाग की सुविधा गुजार रही है परन्तु
वन परिचोजना एवं जवाजा परिचोजना के तहत तथा अतीति
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी के प्रावधानों
अनुसार अनुपस्थित परमाणु वसती अधिकारी की मान्यता
अधिकारिता 2006 की धारा 3 (1) व 3 (2) के तहत प्राप्त
पंचायत का अनापत्ती प्रस्ताव पत्र प्रारम्भ है अतः
ग्राम पंचायत में प्रस्ताव 2200 है जिसे ग्राम में सर्वेक्षण
से प्रमित किया गया।

सकासी

दानी

Jammor
औद्योगिकी विभाग
जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग
परियोजना खण्ड, जवाजा






ग्राम विभाग
गांव विकास
पं. स. जवाजा (अनवर)

प्रस्ताव संख्या 13

22/11/2019

LPDP

श्रीमान विकास अधिकारी पंचायत समिति - जवाजा के पत्रांक - पराज /पंचायत /2019/ 2557-60 की पालना में ग्राम पंचायत स्तर पर LPDP 2020-21 के निर्माण हेतु निम्नानुसार ग्राम समा उभारी सुन्नी सीमा कटारिया एवं सरपंच महोदय की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। जो दिनांक 24-11-2019 की ग्राम समा का आयोजन किया गया। जिसमें उपस्थित अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारी निम्न हैं -

क्र.सं	नाम कर्मचारी /अधिकारी	पद	विभाग	हस्ताक्षर
1	श्रीमती विजयलक्ष्मी केशीवाल	सरपंच	पंचायतीराज	
2	सुन्नी सीमा कटारिया	JTA	पंचायतीराज	
3	श्रीम उभाशा जाट	UDO	"	
4	किशोर सिंह	क.स.	"	
5	जसवंत राव			लीला
6	के.क.डेवी	प.सि.क.स.	कै.सि.सि. - जवाजा 2222	गोविन्दराव
				गी.॥
				
				त्रिलोक
				शशीलसि
				बेगारसिंह
				राजसिंह
				
				श्रीम.क.स.

Janmya
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
परियोजना खण्ड, जवाजा

कुशली (3) नगीर जंगल के कमान से जिले के सिट्टे सिट्टे के जंगल को 22 1000000 रुपये

(4) मन्गी देवी के लक्ष्मी मंडी के जंगल को 22 1000000 रुपये

(5) मन्गी देवी के लक्ष्मी मंडी के जंगल को 22 1000000 रुपये

देवता

(6) मन्गी देवी के लक्ष्मी मंडी के जंगल को 22 1000000 रुपये

(7) मन्गी देवी के लक्ष्मी मंडी के जंगल को 22 1000000 रुपये

केली

(8) मन्गी देवी के लक्ष्मी मंडी के जंगल को 22 1000000 रुपये

अज्ञान

(9) मन्गी देवी के लक्ष्मी मंडी के जंगल को 22 1000000 रुपये

शुकीली

जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पाईपलाइन विधान के विकास के अन्तर्गत आने वाली पन भूमि के लिए (अधिकारी की प्राप्ति) अधिनियम 3(1) व 3(2) के तहत अनापत्ती प्रमाण पत्र के लिए प्रारम्भिक अधिशाली अभियन्ता पन स्वा. अभि. विभाग परियोजना के द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया। सभा में विचार विमर्श के बाद उक्त प्रस्ताव को सर्वसहमति से पारित किया गया।

रेडि

कुंगोर

प्रस्ताव सं-04 परिवारी द्वारा तीन अकार की सूचना, सूचना के अधिनियम 2005 के तहत मांगी गयी है। सभा द्वारा सभा इस प्रस्ताव को अपने विचार रखती है।

जन स्वास्थ्य अभियानिकी विभाग जवाजा

दुर्गा

ग्राम सभा के अध्यक्ष महोदय एवं संबंधित ग्राहकवासियों द्वारा विषय पर अपने विचार रखने के बाद सभा ने प्रस्ताव को अपनी परिवारी चार्ज प्रस्तुत सूचना मांग रही है। उक्त प्रस्ताव को उपलब्ध करवायी जाए। उक्त प्रस्ताव सर्वसहमति से पारित किया गया।



Date / / 21

Page

उत्तर (11) प्रस्ताव के साथ आज की साधारण सभ सम्पन्न

है।

Outat

Jammy

जन स्वास्थ्य अभियंत्रक विभाग

परियोजना खण्ड, जवाजा

आचार्य
प्रमुख अधिकारी
पता नं. ७५१७६
संसाधन विभाग, जवाजा

पंचायत समिति जवाजा, जिला-अजमेर (राज.)

सरपंच
गीता रावत
मो. 94146-66720

ग्राम पोस्ट-बलाड
तहसील-ब्यावर
(जिला-अजमेर) राज.

क्रमांक गा० प० बलाड/जवाजा/69

दिनांक 02-12-2019

आधीशाही अलिपन्ता
PHED परियोजना खण्ड जवाजा

दिनांक 20.11.2019 को ग्राम स्तरीय वनाधिकार सगिती का आयोजन किया गया जिसमें, जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पाईपलाइन विछाने की आवश्यकता बताई गई तथा उक्त पानी सप्लाई पाईपलाइन विछाने के विकास कार्य में राजस्व ग्राम बलाड/गडरी/फेरीघाट 0.0808 + 0.0436 हेक्टेयर वन भूमी उक्त पानी सप्लाई पाईपलाइन के विछाने में काम आयेगी। एवं उपयोग में आने वाली वनभूमी पर (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) व 3 (2) के प्रावधानानुसार उक्त भूमि पर वनाधिकार का कोई भी दावा लम्बित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है।

ग्राम सभा में अवगत करवाया गया की जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पाईपलाइन जो वनाधिकार की भूमि से गुजर रही है तथा 199 गांवों व 390 अधियों को पानी की आपूर्ति के लिए इस की आवश्यकता बताई गई एवं राप्ते ग्राम वासियों की सहमति से प्रस्ताव पारित किया गया तथा किसी भी सदस्य को वन क्षेत्र में जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पाईपलाइन विछाने का विकास कार्य करने में कोई आपत्ति नहीं है। उक्त प्रस्ताव बलाड/गडरी/फेरीघाट के वन क्षेत्र में क्रमांक 7 पर उपरोक्त वन दिया गया है।

प्रस्ताव संख्या - EP/RI/WATER/33714/2018

परियोजना का नाम- जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पाईपलाइन

ग्राम- बलाड/गडरी/फेरीघाट

आवश्यक प्रस्तावित वन भूमि 0.0808 + 0.0436 हेक्टेयर

तहसील- ब्यावर

जिला-अजमेर (राजस्थान)

Jammy
अभिजाती अभियोजना
जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग
परियोजना खण्ड, जवाजा

गीता
सरपंच
ग्रामपंचायत- बलाड
तहसील- जवाजा (अजमेर)

[Signature]
ग्रामाधिकार अधिकारी
ग्रामपंचायत- बलाड
तहसील- जवाजा (अजमेर)

बैठक में की गई कार्यवाहियां	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
5	6
<p>प्रस्ताव नं० (1) - गत कार्यवाही बैठक विवरण सदन के समक्ष प्रस्तुत कर पद से सुनाया गया जिसका सदन द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।</p>	<p><i>[Signature]</i> सदस्य राज. पंचायत ब्लाक पं. स. जवाहर (अजमेर) <i>[Signature]</i></p>
<p>प्रस्ताव नं० (2) - सदन में कार्यालय में बिजली, फर्नीचर तथा अन्य आवश्यक कार्यालय उपयोगी वस्तुओं के बारे में चर्चा की गई। चर्चा उपरान्त सदन द्वारा कार्यालय में उपयोग हेतु बेंच, इन्वर्टर, कुर्सी, तथा फ्लोर प्रेन्चर की खरीद हेतु सहमति प्रदान की गई। तथा अन्य आवश्यक सामान भी खरीद हेतु प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।</p>	<p><i>[Signature]</i> सदस्य 20...19 प. जालियावास</p>
<p>प्रस्ताव नं० (3) - पटवारी कालियावास द्वारा प्रस्तुत निम्नानुसार है। नाम: बेचा नं० 108 क्रैता - गंगा पालि छोडु मेहरात निवासी सैमला विक्रेता - चन्ना वल्द वहीमा निवासी सैमला ता. 16 खबरान - 107, 116/17 खगतेदार</p>	<p><i>[Signature]</i> 5.3.19 डि. अ. अ. (2) 20...19 प. तलाड</p> <p><i>[Signature]</i> राधापतर विक्रमा...</p>
<p>जालियावास किरासत ना. नं० 165 मृतक - अकबर वल्द अम्मा निवासी नवारी खेड़ा वापिसान - शंकर मुज अकबर उनला मुन्कर पुत्रियाँ अकबर मुकेश बलवीर सुलेमान</p>	<p><i>[Signature]</i> शारदा देवी वहीमा</p> <p><i>[Stamp]</i> जालियावास आधिकारिक अधिकारिणी विभाग प. स्वास्थ अधिकारिणी विभाग प. जवाहर, जवाहर</p>

बैठक में की गई कार्यवाहियाँ

बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम

5 श्री गिरण खीपा पालि विस्थापित
 खीपा जाति खीपा निवासी
 132 निवासी. श्याम सुन्दर गाली
 तेजा चौक व्यावर

क्रेडिट - कमला जोसे विश्व
 लाल माली सा. नया नगर खीपा

उक्त नामान्तरण को गौरव द्वारा सर्वसम्मति से प्रारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 -

सदन में आचूवासी अधिवक्ता जय
 स्वा. कृति. विभाग परियोजना खण्ड, जवाजा से प्राप्त
 पत्र पत्र चर्चा की गई। पत्रानुसार जवाजा
 परियोजना पानी सप्लाई पाईपलाइन बिछाने का
 विकास कार्य डिमा जात्रा प्रस्तावित है। परन्तु
 जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पाईपलाइन
 वन विभाग की मर्म से गुजर रही है जिसके
 तहत ग्राम पंचायत का अनुपातिक प्रमाण पत्र
 प्राप्त हुआ है। ग्राम पंचायत बलाड़ के राजेश्वर
 ग्राम बलाड़ तथा गड्डी चोरिमान से यह
 पाईपलाइन गुजरेगी। जो कि 0.0808 ईंम्टेयर
 बलाड़ तथा 0.0436. ईंम्टेयर गड्डी चोरिमान
 में है।

उक्त पत्र पर सदन द्वारा चर्चा की गई
 तथा प्रस्ताव सर्वसम्मति से प्रारित किया
 गया कि ग्राम पंचायत को उक्त प्रस्ताव
 को अनुमति नहीं दी जाए। तथा सम्बन्धित विभाग
 को सूचित किया जावे।

आविष्कारी अभियान
 जन स्वास्थ्य विभाग
 पत्रिका

अध्यक्ष
 ग्राम पंचायत बलाड़
 पं. सं. जवाजा

कार्यालय ग्राम पंचायत, गोहाना

पंचायत समिति-जवाजा (जिला-अजमेर) राज.

30

निवास:

ग्राम - गोहाना

जिला-अजमेर (राज.)

श्रवण सेन

सरपंच

मो. 9610896696

क्रमांक : ग्रा.पं.गो./ 19-20 / 71

दिनांक 20.9.19

दिनांक 16.9.19 को ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिती का आयोजन किया गया जिसमें, जवाजा परिभोजना पानी सप्लाई पाईपलाईन बिछाने की आवश्यकता बताई गई तथा उक्त पानी सप्लाई पाईपलाईन बिछाने के विकास कार्य में शान्तव ग्राम गोहाना की 0.0696 हेक्टेयर वन भूमि उक्त पानी सप्लाई पाईपलाईन के बिछाने में काम आयेगी। संव 34भाग में आने वाली वनभूमि पर (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2008 की धारा 3 (1) व 3 (2) के प्रावधानोंनुसार उक्त भूमि पर वनाधिकार का कोई भी दावा लम्बित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है।

ग्राम समिति में अवगत कराया गया की जवाजा परिभोजना पानी सप्लाई पाईपलाईन जो वनविभाग की भूमि से गुजर रही है तथा 199 गांवों व 390 गाविसों को पानी की आपूर्ति के लिये इसकी आवश्यकता बताई गई संव सभी ग्रामवासियों की सहमति से प्रस्ताव पारित किया गया तथा किसी भी तरह से वन क्षेत्र में जवाजा परिभोजना पानी सप्लाई पाईपलाईन बिछाने का विकास कार्य करने में कोई आपत्ति नहीं है। उक्त प्रस्ताव ग्रामसमिति के 2 सदस्यों में क्रमांक 07 पर इन्तजान कर दिया गया है।

- ① गोहाना की 0.0696 हेक्टेयर वन भूमि
- ② सतवा की 0.0421 हेक्टेयर वन भूमि

जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग
परियोजना खण्ड, जवाजा

प्रस्ताव सं - AP/RS/WATER/33714/2018


परिभोजना का नाम - जवाजा परिभोजना पानी सप्लाई पाईपलाईन

ग्राम - गोहाना, सतवा

तहसील - व्यास

जिला - अजमेर


सरपंच
ग्राम पंचायत गोहाना
पं. व. जवाजा (अजमेर)


ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत गोहाना
पं. स. जवाजा (अजमेर)

जवाजा

23
24

श्रीधर सिंह
सरोज देवी

प्र(1) पूर्व ग्रामसभा की कार्यवाही को मदन
पटेल (पुराना नाम) / श्री उपस्थित
ध्वनिमत से अनुमोदन किया।

चन्द्रा मार

प्र(2) सदन में प्राप्त हुआ कि मंगल सिंह के
मकान से दरदर किए के मकान तक ८० लक्ष
का निर्माण करवाया जाके ताकि एक
सुविधाई मार्ग (सुगम हो सके) १ लाख

हरि सिंह
विशाल सिंह
श्याम सिंह
बलराज

प्र(3) जय सिंह के मकान से राम सिंह के मकान तक
८० लक्ष का निर्माण / १ लाख

रघुवीर सिंह
मोहन सिंह

प्र(4) केशव मोवा के मकान से उदय सिंह के मकान तक
८० लक्ष निर्माण / १ लाख

शैली

~~राम सिंह~~ राम
~~राजेश~~ राजेश

प्र(5) लाल सिंह के मकान के औरत सिंह के
मकान तक ८० लक्ष निर्माण / १ लाख

मरव सिंह
(रामजीत गोपाल)

प्र(6) उपस्थित श्री गोपाल सिंह के मकान के
मोली बाई के मकान तक ८० लक्ष निर्माण / १ लाख

दिनेश सिंह

प्र(7) मुन्ना भाई के मकान के लाली के मकान तक
८० लक्ष निर्माण / १ लाख

~~मदन~~ मदन
दिनेश सिंह

प्र(8) महेन्द्र सिंह के मकान के मदन / दाला के
मकान तक ८० लक्ष निर्माण / १ लाख

सुभाष
सम्पत सिंह

प्र(9) मदन / दाला के मकान तक के कल्याण सिंह
के मकान तक ८० लक्ष निर्माण / १ लाख

मदन
मदन

प्र(10) आनंद सिंह के मकान के मेल सिंह के मकान तक
८० लक्ष निर्माण / १ लाख

मदन
मदन
मदन
मदन
मदन

प्र(11) ग्रामसभा द्वारा शान्ति देवी / हरि सिंह
के मकान नवीनीकरण का आवेदन प्राप्त किया
जिसका विवरण निम्न प्रकार है -
शान्ति देवी / हरि सिंह गोधाना वडा / 21.01.19 को 150/12
वर्ग मीटर का मकान मदन द्वारा जारी किया गया था।
इस पर सर्वसम्मति से बैठक दौरान विचार विमर्श किया
गया और कोरम द्वारा मकान नवीनीकरण करने का
निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

जन स्वास्थ्य आश्वासन की विधि
परिचयना

हेतु, का प्रस्ताव लिखवाया गया। उक्त प्रस्तावों के संबंध में ग्रामसभा में उपस्थित समस्त सदस्यों/लोगों ने विचार-विमर्श कर इन प्रस्तावों को पारित करने का निर्णय लिया।

प्र०सं० - (07): बेंठू हौरान सरपंच साहब महोदय द्वारा निम्न प्रस्ताव कोरम के समक्ष रखा गया -

दिनांक 16.09.19 को ग्राम स्तरीय वनअधिकार समिति का आमोपन हुआ गया जिसमें जवाजा परिभोजना पानी सप्लाई पाईपलाइन विधाने की आवश्यकता बताई गई तथा उक्त पानी सप्लाई पाईपलाइन विधाने के विकास कार्य में राजस्व ग्राम बनवा की ए०प्र०ए० हैस्टेयर वनभूमि उक्त पानी सप्लाई पाईपलाइन के विधाने में काम आयेगी एवं उपभोग में आने वाली वनभूमि पर (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) व 3(2) के प्रावधानानुसार उक्त भूमि पर वनअधिकार का कोई भी दावा लम्बित/प्रतिपाद्य नहीं है।

ग्रामसभा में उपगत कायागया की जवाजा परिभोजना पानी सप्लाई पाईपलाइन जो वनविभाग की भूमि से गुजर रही है तथा 1.90 मीटर के 330 टाइपों की पानी की आपूर्ति के लिए बस की आवश्यकता बताई गई एवं सभी ग्रामवासियों की सहमति से प्रस्ताव पारित हुआ गया तथा इसीमें सदस्य को वन क्षेत्र में जवाजा परिभोजना पानी सप्लाई पाईपलाइन विधाने का विकास कार्य करने में कोई आपत्ति नहीं है। उक्त प्रस्ताव ग्रामसभा के रजिस्टर में क्रमांक - 07 पर इन्डाय कर दिया गया है। राजस्व ग्राम गौडाना की 0.0696 हेक्टेयर वनभूमि में शामिल है। इस प्रस्ताव पर कोरम में उपस्थित सदस्यों ने विचार-विमर्श कर NOC जारी करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया।

प्र०सं० - (08): बेंठू हौरान श्रीमान सरपंच साहब महोदय द्वारा निम्नलिखित कार्यों के प्रस्तावों को JPODP 2019-20 में शामिल करवाने का प्रस्ताव ग्रामसभा में उपस्थित लोगों के समक्ष रखा -

- 1) सामुदायिक चवन मरम्मत कार्य - गौडाना - FFC - 1.00 लाख
- 2) आंगनवाड़ी केन्द्र I व शौचालय मरम्मत - गौडाना - FFC - 0.50 लाख
- 3) आंगनवाड़ी केन्द्र II व शौचालय मरम्मत - गौडाना - FFC - 0.50 लाख

ग्रामसभा
मुख्यालय ग्रामसभा
परिचयना छापड, जवाजा


- 10. श्रीमती मुष्पा देवी (नामित) - पडेन सडए
- 11. श्रीमती सुखी देवी - "
- 12. श्रीमती सुगना देवी - "
- 13. श्रीमती बबली गौस्वामी - "
- 14. श्रीमती च्चारी देवी - "

प्रसंग - 10. वैठक दौरान निम्नलिखित पक्षा आवेदन प्राप्त हुए जिस पर वैठक दौरान उपास्थित सभी लोगों द्वारा विचार-विमर्श करने के परचात इनके आवेदन स्वीकृत करने का प्रस्ताव सर्वसम्मत से पारित किया -

- 1. श्रीमती सुशीला देवी जॉन् भौमसिंह - रामचेश छनार
- 2. सुरेशसिंह जॉन् भौमसिंह - रामचेश छनार
- 3. राजी देवी जॉन् रामदयाल - गौहाना
- 4. हरीशपाल सिंह - गौहाना
- 5. गीता देवी जॉन् प्रतापसिंह - रामचेश छनार

पूछ्यस महीदय की अनुमतिसे उगामसभा की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की जाती है।

जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग
 चरियोजना खण्ड, जयन्ता


 श्रीम पंचायत गौहाना
 श्री. ल. चक्रवर्ती (अध्यक्ष)

कार्यालय-ग्राम पंचायत, सरवीना

पंचायत समिति जवाजा, जिला-अजमेर (राज.)

34

सरपंच
मुन्नीदेवी
मो. 9928998318

ग्राम-पोस्ट-सरवीना
तहसील-ब्यावर
(जिला-अजमेर) राज.

क्रमांक... 581... 41

दिनांक... 5.12.19.....

दिनांक 5/12/19 को ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति का आमोहन किया गया, जिसमें जवाजा परिमोजना पानी सप्लाई पाइपलाइन विधाने की आवश्यकता बताई गई तथा उक्त पानी सप्लाई पाइपलाइन विधाने के विकास कार्य में राजस्व ग्राहक ① सरवीना में वन भूमि उक्त पानी सप्लाई पाइपलाइन विधाने में काम आयेगी एवं उपयोग में आने वाली वन भूमि पर (आधिकारी की मान्यता) अधि. 2006 की धारा 3(1) व 3(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त भूमि पर वनाधिकार का कोई दावा सम्बन्धित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है।

ग्राहक स्वका में अवगत कराया गया कि जवाजा परिमोजना पानी सप्लाई पाइपलाइन को वन विभाग की भूमि से गुजर रही है तथा 199 गांवों व 3906 निम्न में जो पानी की आपूर्ति के लिए इसकी आवश्यकता बताई गई है व सभी ग्राहक वसियों की सहमति से पुस्ताव पारित किया गया व किसी भी सदस्य को वन भूमि जवाजा परिमोजना पानी सप्लाई पाइपलाइन विधाने का विकास कार्य करने में कोई आपत्ति नहीं है। उक्त पुस्ताव ग्रामसभा के सिद्धे पर इन्सॉफ कर किया गया है।

- पुस्ताव सं - FP/RJ/WATER/33714/2018
 पी. नाम - जवाजा परिमोजना पानी सप्लाई पाइपलाइन
 ग्राहक - ① सरवीना - 0.0707 हेक्टर
 ② सुरजपुरा - 0.0898 हेक्टर
 ③ नाहरपुरा - 0.0671 हेक्टर
 ④ अंबा का बाडिया - 0.0951 हेक्टर

जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग
परियोजना खण्ड, जवाजा

मुन्नीदेवी
सरपंच
जवाजा (अजमेर)

जन विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत, सरवीना
पं. स. जवाजा (अजमेर)

आज दिनांक 5.12.19 को श्रीमति सुन्नी देवी सरपंच महोदया की अध्यक्षता में ग्राम स्तरीय वनाचेकर समिति का आयोजन किया गया जिसमें निम्न आर्क्षिकारी व जनप्रतिनिधी उपस्थित थे।

क्र.सं.	व्यक्ति / जनप्रतिनिधी के हस्ताक्षर	पद	हस्ताक्षर
1.	श्रीमति सुन्नी देवी	सरपंच	सुन्नी देवी
2.	श्री गोपाल खेरवा	V.D.C.	गोपाल
3.	श्री रविन्द्र ज्ञान सिंह	U.D.C.	रविन्द्र

उस्ताव सं. (1) सर्वप्रथम ग्राम सभा में गत बैठक की कार्यवाही पढ़कर सुनाई गई जिसका अनुमोदन सर्वसहमति से किया गया

उस्ताव सं. (2) दिनांक 20.11.19 उस्ताव सं. (3) में जल मात्रावली तथा गठीत भौका परीक्षण कर कमेटी की रिपोर्ट अकारात्मक जल छुड़ तथा हल्का पटवारी द्वारा उक्त स्थलों का आर्क्षिकी जमी में होना बताया गया जाकर जमाबन्दी व नकल नकशा ड्रेस जारी किया गया। सदन में विस्तृत चर्चा कर उक्त आवेदकों को परत जारी करने से पहले सात दिवस का आपत्ति नोटिस जारी किया जाने का सर्वसहमति से उस्ताव किया गया।

पुस्तक सं. ③ आरक्षणाधी आरक्षणाधी जन. स्वा.
 आरक्षणाधी विभाग परिभाषणा खण्ड जवाजाने
 पात्रक 294-93 दिनांक 2/8/19 के द्वारा
 जवाजा परिभाषणा पानी सप्लाई पाइपलाइन
 विद्याने के विकास कार्य के उपयोग में
 आने वाली वल सुमि के लिए आरक्षणाधी प्रम
 2006 की चारा 3(1) व 3(2) के तहत
 अनापत्ति प्रमाण पत्र दिलवाने वास्ते
 ग्राम उपलब्ध कराने वास्तु ग्राम पंचायत
 से अनापत्ति प्रमाण पत्र दिलवाने वास्ते
 ग्राम पंच. काभलिप को पत्र भेजा ग्राम सभा
 ने उक्त पत्र पर उपलोकन के उपरान्त
 जनकित में अनापत्ति देने का पुस्तक पारित
 किया उक्त पुस्तक ग्राम पंच. सरवीना एवं
 ग्राम पंच. सरवीना के लिए पुस्तक पारित किया
 परिभाषणा का नाम - जवाजा परिभाषणा पानी
 सप्लाई पाइपलाइन

- ग्राम ① सरवीना - 0.0707 हेक्टेयर
 ② सुरजपुरा - 0.0898 हेक्टेयर
 ③ नाहरपुरा - 0.0671 हेक्टेयर
 ④ अम्बा का
 काडिया - 0.0951 हेक्टेयर

Jany
 आरक्षणाधी विभाग
 जन स्वास्थ्य आरक्षणाधी विभाग
 परिभाषणा खण्ड, जवाजा



सत्यमेव जयते

कार्यालय ग्राम पंचायत-राजियावास

रमेश लाल, सरपंच

ग्राम पंचायत- राजियावास, पं.स. जवाजा (अजमेर) राज.
मो. 9929919649

निवास स्थान :

गांव-कलिंजर, तह. ब्यावर
जिला-अजमेर (राज.) 305925

क्रमांक : ग्रा.पं. SPL-01/19-20

दिनांक... 19/09/19

दिनांक 19/09/19 को ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति का आयोजन किया गया जिसमें, जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पाइपलाइन विधान की आवश्यकता बताई गई तथा उक्त पानी सप्लाई पाइपलाइन विधान के विकास कार्य में वाजिब ग्राम (i) राजियावास (ii) कालीजट की कुम्हार - 0.0765 व 0.0499 हेक्टेयर में ग्राम उक्त पानी सप्लाई पाइपलाइन के विधान में काम आयेगी। एवं उपयोग में आने वाली वन भूमि पर (अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) व 3(2) के प्राधान्यनुसार उक्त भूमि पर वनाधिकार का कोर्ष भी दावा लौकित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है।

ग्राम स्तर में अचगत करवाया गया कि जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पाइपलाइन जो वन विभाग की भूमि से गुजर रही है तथा 199 गांवों व 390 हाथियों की पानी की आपूर्ति के लिए इस की आवश्यकता बताई गई एवं सभी ग्रामवासियों की सहमति प्राप्त किया गया तथा किसी भी सरकारी वन क्षेत्र में जवाजा परियोजना पानी सप्लाई विधान का विकास कार्य करने में कोर्ष आपत्ति नहीं है। उक्त उताव शीमा के रजिस्टर में क्रमांक - 06 पर स्टैंडाय कर दिया गया है।

उत्तर सं - FP/RJ/WATER/33714/2019/06

परियोजना क्रमांक - जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पाइपलाइन
ग्राम - (i) राजियावास (ii) कालीजट

क्षेत्रफल - (i) 0.0765 (ii) 0.0499 हेक्टेयर

स्थान - ब्यावर
जिला - अजमेर (राज)

Sammy
जन स्वास्थ्य अभियंत्रिका विभाग
परियोजना खण्ड, जवाजा

(Signature)
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत, राजियावास
पं. स. जवाजा (अजमेर)

(Signature)
ग्राम पंचायत, राजियावास
पं. स. जवाजा (अजमेर)

आज दिनांक 11.9.19 का कार्यालय पंजापन सं. 10.9.19 को आदेश क्रमांक पं.सं. 2019/2510 दिनांक 10.9.19 को अनुपालना व 20 जिला परिषद, जवाहर पंच कुमाक / जि.प.सं. / पु.स. बी.एच. 2019/20/स्.प. 1 दिनांक 10.9.19 को अनुपालना में एलास्टिक अपरिप्ल गुणक कर्मियों के लदन स्वच्छता ही सेवा अधिपान की गुण संगत को अधिपान सरपंच श्री रमेशलाल की अध्यक्षता में किया गया।

जिसमें निम्न अधिकारी एवं कार्यगारी उपस्थित रहे।

क्र.सं.	नाम कार्यगारी / अधिकारी	विभाग	पद	हस्ताक्षर
1				
2	रमेशलाल	पंजापनी राज	सरपंच	रमेशलाल
3	बी.गजानंद सिंह पंवार	पंजापनी राज	उ.ए.	
4	मो.का. 10 सिंह	पं. राज	कार्डपंच	
5	जीतन सिंह	—	प.स.एम.क	जीतन
6	रणजीत सिंह	—	—	रणजीत
7				
8	निरमा देवी	—	कार्डपंच	निरमा
9	समाजिका			
10	अंजली देवी	—	—	अंजली
11	जसवन्त सिंह	—	—	जसवन्त
12	ललित मिश्रा	—	—	ललित
13	सम्पति देवी			
14	पुष्पिका	—	—	पुष्पिका
15				
16				

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
परियोजना खण्ड, जवाहर

चक्ररहित

विकास कार्य के राजन शाहन राजिथावास क आकीज
की कृपा: 0.0765 व 0.0599 हेक्टर वन भूमि उक्त
पानी झालाई परिपलाईन के विधान में काम करायेंगी एवं
उपयोग में आने वाली वनभूमि पर (अधिकारों की मान्यता)
अधिकारियम 2006 की धारा 3(1) व 3(2) के प्राधान्यनुसार
उक्त भूमि पर वन अधिकार का कोई भी प्रावधान अथवा
प्रक्रियाचीन नहीं है।

जेलाल सिंह

विजयद्वि

ग्राम सभा के अवगत करवाया गया कि जवाजा परियोजना
पानी झालाई परिपलाईन जो वन विभाग की भूमि से गुजर रही
है तथा 199 गांवों व 390 बागियों को पानी की आपूर्ति
के लिए इसकी आवश्यकता बतई गई एवं सभी शायवाहियों
की सहमति से प्रस्ताव पारित किया गया तथा किसी भी
प्रकार के वन क्षेत्र में जवाजा परियोजना पानी झालाई
विधान का विकास कार्य करके में कोई आपत्ति नहीं है।
उक्त प्रस्ताव ग्राम सभा के बजट 2024 के अनुक्र (अ-80) 06
पर प्रस्तावित कर दिया गया है।

जमनी

पतिनी

समवा

प्र.सं. 001 साज विनाकु ग्राम सभा में जैव विविधता
प्रबन्धन समिति कागठन किया गया जिसमें
जैव विविधता प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष के रूप में
रमेश साहब श्री रमेश जाल जी को चुना गया एवं
सदस्य समित्व के रूप में शान विकास अधिकारी
श्री महेश मोरो टिया जी को चुना गया एवं सदस्य
के रूप में श्री विष्णु पत छवि परब शरु कृषि विभाग
श्री गजेन्द्र सिंह जी कनिष्ठ सहायक प.रा. विज्ञानोपकरण
सिंह जी उपसरपंच, श्री सतुंग जी पटवारी राजस्व विभाग,
श्री कल्याण सिंह धारपंच, श्री जेम सिंह धारपंच श्रीमति
रशोका देवी आगनबाही कार्यकर्ता, श्री जीतमारी

काका

रस्ता

रस्ता

पिता

कपिला

प्राप्त सहायक कर्मचारी के सदस्य के रूप
में बहन कर जैव विविधता प्रबन्धन समिति
का निर्धारण किया गया गया है। इस प्रस्ताव
का सर्वसमति से अनुमोदन किया गया है।

सोहन सिंह

जेलाल सिंह

- उक्त व 8 प्रधानों की आवास योजना जारी में अपात्रों के
- सर्वी मर्यादा अनु निम्न लक्ष्य किया गया: नां (100डा)
- (1) रामेश्वरनाथ (106335) (2) जगदीशनाथ (106336) (3) लक्ष्मण (192026)
- (4) रामेश (199039) (5) कैलाश (2024936) (6) गीतमारी
- (7) जयगलाम (2402288)

ग्राम पंचायत, राजशाहन
पं. न. जवाजा (अजमेर)
अभियंता अभियंता
अभियंता विभाग

कार्यालय ग्राम देवाता पंचायत देवाता पंचायत समिति जवाजा जिला अजमेर

क्रमांक 4PD/2019-20/31

दिनांक 09.12.19

श्रीमान अधिशाषी अभियंता
जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग
परियोजना खंड, जवाजा

विषय:- ग्राम पंचायत देवाता की वन भूमि पर पाइपलाइन बिछाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र
प्रसंग:- आपके कार्यालय पत्रांक 278-287 एवं 332/02.08.2019 के संबंध में

महोदय

उपरोक्त प्रासंगिक पत्रों पर दिनांक 15.10.2019 को आयोजित ग्राम सभा में विचार किया गया। इन्हे ग्राम सभा में पढ़कर सुनाया गया। साथ ही ग्राम सभा में वन भूमि पर (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 धारा 3(1) एवं 3(2) को पढ़कर सुनाया गया।

जिसमें ग्राम सभा में उपस्थित समस्त सदस्यों ने विभाग द्वारा पाइपलाइन बिछाए जाने की सहमति सर्व सम्मति से दी है एवं आपके विभाग द्वारा कराये गए कार्यों के दौरान ग्राम पंचायत एवं वन भूमि की सार्वजनिक संपत्ति यथा सड़क, भवन, भूमि इत्यादि की क्षतिपूर्ति एवं मरम्मत की समस्त जिम्मेदारी जन स्वा. एवं अभि. विभाग की रहेगी।

क्रम संख्या	गाँव का नाम	वन भूमि का क्षेत्रफल जिसकी अनापत्ति जारी की गयी
1	देवाता	0.0927 है.
2	भांभीपूरा	0.0594 है.
3	कलातखेड़ा	0.0473 है.
4	किशनपुरा(देवाता)	0.0694 है.
5	बाड़ियानंगा	0.0827 है.
6	किशनपुरा	0.0821 है.
7	भाटियो का बाड़िया	0.0662 है.

ग्राम सभा दिनांक 15.10.2019 के प्रस्ताव संख्या 6 की शर्तों के आधार पर अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है।

इ-डा डेवी
★ सरपंच ★
ग्राम पंचायत देवाता

अधिसूचना संख्या 10/2019
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
परियोजना खण्ड, जवाजा

ग्राम विकास अधिकारी
(जवाजा)
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत-देवाता
पं.स.जवाजा (अजमेर)

97

गाज दिनांक 15.10.2019 को श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पत्रांक 7357-65 दिनांक 09.09.2019 व पंचायत समिति के पत्रांक ताम्र / पंचायत / 2019 / 2537-60 दिनांक 16.09.2019 के अनुपालना में श्रीमत् सरपंच महोदय श्रीमति इंदिरा देवी की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आलोचक किण्वण वर्ष 2020-21 हेतु वार्षिक प्लान का अनुपादक किण्वण का निर्माण कार्यकारी / अधिकारी / जनप्रतिनिधि विभाग उपस्थित हुए।

नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
श्रीमति इंदिरा देवी	सरपंच	इंदिरा देवी
श्री सुद्ध मीणा	ग्राम निरक्षर अधिकारी	* सरपंच व ग्राम पंचायत देवता
श्रीमति रचना कौर	मनिफ तटा	पं. स. जवाजा
श्रीमती स्तीला कटारिया	प्रमारी आकलन	
श्रीमति कंचन देवी	वाडि पैच	
श्री लक्ष्मण साठाल	वाडि पैच	
श्रीमति मंगला देवी	वाडिपैच / इप सरपंच	
श्री मदनलाल गठ्ट	प्रधानाध्यापक राउंडर	मदनलाल
श्री नरसिंह जेठा	WDT Eng.	
श्रीमिनीता चौधरी	J. En water shed	Narsingh
श्रीमती रम्या देवी	WDT. Agriculture spec.	
श्री सुपराज सिंह	PHED / J En	

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
परियोजना खण्ड, जवाजा

क. उ. स.
श्रीमती
श्रीमती
श्रीमती

श्रीमती
श्रीमती
श्रीमती

भाज दिनांक 29/8/2019 को जिला परिषद इलाहाबाद के पत्र क्रमांक जि.प.अ/जल शक्ति/PA/374/2019 के पत्र क्रमांक 22.08.2019 के आदेशानुसार में सरपंच साहब श्री मति गीता देवी को - अद्यपक्षता में ग्राम सभा का आयोजन JSA Mobile App के माध्यम से सुचारु अपलोड - हेतु ग्राम सभा का आयोजन किया गया। जिसमें सभी जन-प्रतिनिधि एवं पंचायी व ग्राम वारडीयों ने भाग लिया इसके पक्षों गठन हेतु ग्राम सभा का आयोजन किया गया तदुपरांत - पत्रावलि लिखा गया।

क्र.सं.	नाम	पद	हस्ताक्षर
(1)	गीता देवी	सरपंच	गीता देवी -सापंच
(2)	बालकृष्ण सिंह प्रभु सिंह	उप-सरपंच	ग्राम पंचायत, कोदक उप-सरपंच (अपना)
(3)	विश्वान सिंह	वार्ड पंच	विश्वान सिंह
(4)	हर्षा देवी	वार्ड पंच	हर्षा देवी
(5)	सीता देवी ज्योती देवी	वार्ड पंच	सीता
(6)	मनोमय शर्मा	वार्ड पंच	=
(7)	मन्जु देवी	वार्ड पंच	
(8)	नारायण नाथ बाबू लाल जी	Ex Honry Capt	
(9)	मनोर सिंह जी	Ex	
(10)	शंकर सिंह	Honry Capt	
(11)	शरण कुमार	ग्राम वि-अधीन	शरण
(12)	चन्द्रा देवी विक्रम साहव	Ex वार्ड पंच पञ्चवारी	चन्द्रा विक्रम

प्र.स. ① बैठक दौरान सर्वप्रथम पूर्व बैठक कार्यवाही परिकल्पना सुनाई गई एवं सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

रामसिंह

प्र.स. ② बैठक दौरान उपस्थित सभी सदस्यों को जन संरक्षण के बारे में बताया गया और चुनाव, वर्षा जल संचयन हेतु युवा निगरानी मोबाइल ऐप, सिंगल आदि के बारे में बताया गया।

गोविंद

गोविंद

प्र.स. ③ बैठक दौरान उपस्थित सभी सदस्यों को स्वच्छता के बारे में जागरूक की गई एवं उपस्थित लोगों को स्वच्छता app डाउनलोड करवाकर जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया।

किशोरसिंह

पद

प्र.स. ④ बैठक दौरान उपस्थित सभी सदस्यों को बताया गया कि जवाब परिषद का पानी सफाई पार्क लाईन जो वन विभाग की आग्नेय क्षेत्र गुजरा रही है तथा 199 गांवों व 290 गांवों को पानी को आपूर्ति के लिए इसकी आवश्यकता बनाने है एवं सभी ग्रामवासियों को बचकाने में प्रभावकारी रूप में सहयोग देना भी आवश्यक है। जवाब परिषद के वन क्षेत्र के जवाब परिषद पानी सफाई पार्क लाईन विधान का निष्कासन कार्य वन में कोई आपत्ति नहीं है, इस पर परिषद का गोव भोजपुरा - 0.0375 हे. मि. री. मि. 0.0597 हे. भोजपुरा 0.0619 हे. मि. नरवावेडा - 0.0594 हे. है उम्मीद है कि सभी सदस्यों से अनुमोदन किया गया।

गोविंदसिंह

जवाब सिंह

विनयसिंह

महेन्द्रसिंह

राधा

कमला


इंद्रसिंह

कमला

समाप्ति की गई

बैठक कार्यवाही समाप्त

जन स्वास्थ्य अभियंत्रक विभाग परियोजना खण्ड, जवाब



आज दिनांक 29/8/2019 को भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र नरवदेडा में पंचायत कार्यालय जिला परिषद, अजमेर के आदेश क्रमांक 6065-24 दिनांक 29/8/19 के अनुसार जल शास्त्री क्षीरमन के तहत विशेष ग्राम सभा का सरपंच मा० श्री अध्यापक में सूत्र मंच का आयोजन रखा गया।

सूचिका बिन्दु -

1. जल शास्त्री क्षीरमन सम्बन्धी जानकारी
2. स्वच्छता क्लब डाऊनलोड करके स्वच्छता जागरूकता प्रचारित
3. अन्य विषय अध्यापक महोदयों की अनुमति से

अभिमान विभाग
जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
परियोजना खण्ड, नवाजा

उपस्थित अधिकारी, कर्मचारी गरी, जनप्रतिनिधीगण, ग्राम सभा के सदस्य

क्र.सं.	नाम	पद	हस्ताक्षर
1.	श्रीमती शबरी देवी	सदस्य	शबरी
2.	श्री रमेश सिंह	उपसदस्य	ग्राम पंचायत नरवदेडा पं.स. नवाजा (अजमेर)
3.	श्री जयलाल कुमार	ग्राम सभा अधिकारी	उपसदस्य
4.	श्रीमती लीला देवी	सदस्य	लीला
5.	श्रीमती देजा देवी	सदस्य	देजा देवी
6.	लाली चौहान	सदस्य	लाली चौहान
7.	श्री नरेन्द्र सिंह	सदस्य	NSD
8.	श्री लक्ष्मी देवी	पंचायत सदस्य	लक्ष्मी देवी
9.	रघुमानराम	अध्यक्ष	रघुमानराम
10.	श्री देवदास सिंह	सदस्य	देवदास सिंह
11.	श्री प्रकाश	पंचायत सदस्य	प्रकाश
12.	श्री राजेश	- / -	राजेश

form- I

(For linear project)

Govmment of Rajasthan

Office of the District Collector Rajasamand

No. Rev.()/2021/ 582

Dated 18/03/2021

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF). Government of India's letter No. 11-9/90-FC (pl) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. 2006 (FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th feb.2013, wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.5753 Hectare of forest land in Block Bhim of Tehsil Bhim forest division Rajasamnd proposed to be diverted in favor of Ex. En. (Project Division), PHED, Jawaja for crossing forest land for pipe line for drinking water supply in Fluoride Control Project, Jawaja, Beawar.

It is further certified that

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out the entire 0.5753 Hr. of forest area proposed for diversion. There are no such Forest Dwellers Scheduled Tribes persons residing in the proposed area with rights Scheduled Tribe and other Traditional forest Dwellers (Recognition of Forest rights) Act 2006. A copy of records of all consultations and Sub-division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed ds annexure 1 to annexure 4 .
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive • Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Jahmay.
अधिसास अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
पत्तोजना खण्ड, जवाजा

A
(Arvind Kumar Poswal)
District Collector Rajasamnd



बैंक धारिता विवरण

सिद्धांत दिनांक 8/1/2009 को अनुपस्थित जनजाति के अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों के मान्यता) अधिनियम 2006, नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम 2012 में फ्लोर राइट परियोजना व्यापक / जव जा के अन्तर्गत फाईव मिनीमम थ्रिशोल्ड जन / राजसमन्द जिले के घनान समिति भीम के ग्राम पंचायत के राज्य ग्राम कारला चौडा एवं बली में ए सना धारिता अनुभव प्राप्त करी करने हेतु विना स्थानीय समिटी की बैठक सीमा में जिला कलेक्टर के अध्यक्ष की अध्यक्षता में दिनांक 8/1/2009 को प्राप्त 11 वजे जिला कलेक्टर समागार में आय की गई

- 1 श्री माड अरविंद कुमार परसवारी (अध्यक्ष)
- 2 श्री श्रीनिवास गुप्ता ए.डी. डिप्टी राजसमन्द जिला
- 3 श्री श्रीनिवास भारती ए.डी. डिप्टी राजसमन्द - 2/1/09
- 4 श्री सुधीर राठौड़ डी.ओ. राजसमन्द
- 5 श्री सुधीर गुप्ता ए.डी. भीम
- 6 श्री रामेश भीम BDD भीम
- 7 श्री नरेश रामयादरी BDD गुप्ता
- 8 श्री नरेश रामयादरी BDD गुप्ता
- 9 श्री नरेश रामयादरी BDD गुप्ता
- 10 श्री नरेश रामयादरी BDD गुप्ता

अधिसायी अधियक्षा

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
परियोजना खण्ड, जवाजा

अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, राजसमन्द

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भीम, जिला राजसमन्द(राज0)

कमांक / राजस्व / 2020 / 323


दिनांक : 09.10.2020

--:: अनापत्ति प्रमाण पत्र ::--

अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग परियोजना, खण्ड-जवाजा के पत्रांक:-354-57 दिनांक 25.08.2020 द्वारा फ्लोराईड नियंत्रण परियोजना ब्यावर-जवाजा के अन्तर्गत जल वितरण हेतु पाईप लाईन बिछाई जाना प्रस्तावित है। राजस्व ग्राम बारला चौडा ग्रा0प0 कुकडा एवं बली ग्रा0पं0 बली के खसरो की सूचि उक्त विभाग द्वारा संलग्न कि गयी है। जिसमे परियोजना पाईप लाईन उक्त राजस्व ग्रामों की आराजीयात से गुजरती रक्षित सडक वन पट्टी जो कि राजस्व रिकॉर्ड में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नाम दर्ज है, से गुजर रही है जिसके संदर्भ में अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 संशोधित नियम 2012 कि कियान्विति के सम्बन्ध में एफ0आर0ए0 (FRA) प्रमाण पत्र चाहा गया है।

उपखण्ड अधिकारी, भीम की अध्यक्षता में आयोजित उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 09.10.2020 को रखी गई जिसमें उक्त प्रकरण पर विचार-विमर्श किया गया कि राजस्व ग्राम बारला चौडा ग्रा0प0 कुकडा एवं बली ग्रा0पं0 बली के वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि जो फ्लोराईड नियंत्रण परियोजना ब्यावर-जवाजा के अन्तर्गत आ रही है, उक्त खसरा नम्बरान कि भूमि पर अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 संशोधित नियम 2012 कि कियान्विति के सम्बन्ध में उक्त भूमि में कोई वनवासी निवास नहीं करते है।

अतः उक्त ग्रामों के खसरा नम्बरान के क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित कोई भी अनुसूचित जाति/जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी का व्यक्ति/समुदाय उक्त अधिनियम/नियमों में उल्लेखित पात्रता नहीं रखते है। इसलिए एफ0आर0ए0 (FRA) प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सर्वसम्मति से सहमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।


उपखण्ड अधिकारी
भीम, जिला राजसमन्द (राज0)

सरपंच
श्रीमती निधि राऊ

१- पारिक. बँक :-

ग्राम बली-जस्साखेड़ा
पं.स. भीम जिला राजसमंद

मौ. नं. 7568019473 ग्रा.प. बली-जस्साखेड़ा

राजसव ग्राम - बली-जस्साखेड़ा

दिनांक. 26/5/20 प्रस्ताव नं. 35 पारिक बँक

राजस्थान राज्य में जन स्वा. आर्मी. विभाग परियोजना खण्ड जवाजा हे अर्धीन फ्लोरबुट नियंत्रण परिपोजना, जवाजा के अन्तर्गत पानी की पंप लाइन विधाने का कार्य प्रस्तावित है, प्रस्तावित परिपोजना की परिपलाइन विधाने का विकास कार्य राजसव ग्राम बली-जस्साखेड़ा की वन भूमि में किया जाएगा। जिसके लिए पारिक बँक ग्रा.प. बली-जस्साखेड़ा में सरपंच ग्रा.प. बली-जस्साखेड़ा की मह्यहाला में तथा क्रय सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गयी, ग्राम सभा तथा ग्राम वन समिति के सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गयी। १-

1. गैर वन उद्देश्य हे लिए अजमेर वन विभाग के बली-जस्साखेड़ा ग्राम की वन भूमि में विपथन प्रस्ताव आदिशापी अक्रियता जन. स्वा. आर्मी. विभाग परियोजना खण्ड जवाजा द्वारा प्रस्तुत किए गये आवेदन मधीत पंप लाइन लगायी जाने के लिए विनाशकारी चर्चा की गयी।

2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यो तथा निहित वन पर गम्ब सामिति में सूकर तथा हनुख तौर पर विचार विमर्श किया गया

3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन वासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2000 के सभी खण्डों पर बँक में विचार किर्वा किया गया, विपथन के लिए प्रस्तावित भूमि में पंप लाइन विधापी जाने तथा ग्रामवासीयो को पेयजल सुविधा सेलाभावेत द्विये जाने के लिए है तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास, या अन्य द्वियी भी आजीविका के लिए इसका उपयोग नहीं कर रहा है तथा अनुसूचित जनजाति तथा आदिम वन वासी को भूमि में कोई स्थितिगत वन अधिकार प्रकल नहीं विधाया है

4. वन क्षेत्राधिकार में आने वाले रपसमान/आर जी.स. इस सूकर है

इसलिए गैर-वन उद्देश्य अर्धीत परिपलाइन निर्माण लगायी जाने के लिए अजमेर में वन विभाग के बली-जस्साखेड़ा ग्राम में भूमि के विपथन की बँक में सर्वसम्मति से इसी पारिक किया जाता है।

दिनांक - 26/5/20

स्थान - ग्राम. पंचायत - बली-जस्साखेड़ा

पं.स. भीम
जिला : राजसमंद
(राज.)

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत बली जस्साखेड़ा
पं.स. भीम (राजसमन्द)

ग्राम पंचायत बली जस्साखेड़ा
पं.स. भीम (राजसमन्द)

कार्यालय ग्राम पंचायत, कुडा, पं.स.भीम, जिला-राजसमंद (राज.)

सरपंच
श्री. मेरु सिंह चौहान

पं.स.भीम, कुडा
पं.स.भीम, जिला-राजसमंद
(राज.)

मो.नं. - 9350059205 ग्राम पंचायत - कुडा

राजस्थान-आरला जैदा, मोहरिया

:- पाकिस्तान बैंक :-

दिनांक- 21/08/2020 प्रस्ताव नं. - 09 पाकिस्तान बैंक

राजस्थान राज्य में जन स्वास्थ्य अभि० विभाग, परियोजना खण्ड, जवाजा के अधीन फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना, जवाजा के अन्तर्गत पानी की पाइप लाइन बिछाने का कार्य प्रस्तावित है। प्रस्तावित परियोजना की पाइप लाइन बिछाने का विकास कार्य राजसमं ग्राम / झमी, आरला जैदा में सरपंच, ग्राम पंचायत... कुडा की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गयी, ग्राम सभा तथा ग्राम वन समिति के सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गयी:-

1. गैर वन उद्देश्य के लिए अजमेर वन प्रभाग के कुडा (आरला जैदा) ग्राम की वन भूमि में विपथन प्रस्ताव, अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि० विभाग, परियोजना खण्ड जवाजा द्वारा प्रस्तुत किये गये। आवेदन अर्थात् पाइप लाइन लगायी जाने के लिए विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहित वन पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रमुख तौर पर विचार विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बन्ध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिए प्रस्तावित भूमि में पाइप लाइन बिछायी जाने तथा ग्रामवासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिए हैं, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिए इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति तथा आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।
4. वन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले सरपंच/आर जी.स.स.स. प्रकट हैं।

इसलिए गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाइप लाइन निर्माण लगायी जाने के लिए अजमेर में वन प्रभाग के कुडा ग्राम में भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया जाता है।

दिनांक 21/08/2020

स्थान:- ग्राम पंचायत, कुडा
पं.स.भीम,
जिला-राजसमंद,
(राज.)।

ग्राम विकास अधिकारी

ग्राम पंचायत, कुडा
पं.स.भीम (राजसमंद)

Jammy.

अधिसारी अभियन्ता

जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग
परियोजना खण्ड, जवाजा

सरपंच

ग्राम पंचायत, कुडा
पं.स.भीम (राजसमंद)